

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 24/2024-State Tax

Dated: 30/6/2025

No. F.3 (/0)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 5-94 – In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi No. 5/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017 published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/340 dated 22-06-2017, namely:-

In the said notification, after the opening paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

“ Provided that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of metal scrap, falling under Chapters 72 to 81 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

Note:- The principal notification No. 5/2017-State Tax was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/340 dated 22-06-2017,

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (/0)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 5-94

Dated: 30/6/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 24/2024-राज्य कर

दिनांक: 30/6/2025

फा0सं0 3(10)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/595 :- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 22-06-2017 की फा0सं0 3(10)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/340 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 22 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-राज्य कर में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक परिच्छेद के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को सन्निविष्ट किया जाएगा।

“यह भी उपबंधित है कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले धातु स्क्रैप की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।”

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 प्रभावी होगी।

टीप:- मूल अधिसूचना संख्या 5/2017-राज्य कर जो दिनांक 22-06-2017 की फा0सं0 3(10)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/340 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,


(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (10)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I / 595

दिनांक: 30/6/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)